

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या- 3/26/2024 दायर दिनांक 27/08/2024
जीसीएमएस न0 -2024/476 निर्णय दिनांक 08/04/2024
वउनवान

1. छोट्टन पुत्र पन्ना जाति कोली निवासी दारौदा तहसील कठूमर जिला अलवर।
.....प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार सहाब तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. रामोली पुत्र पन्ना जाति कोली निवासी दारौदा तहसील कठूमर जिला अलवर।
.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित:- श्री ब्रह्मानन्द दीक्षित - अधिवक्ता प्रार्थीयान

:-आदेश:-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 641/825 रकवा 0.25 हैक्टेयर वाके ग्राम दारौदा तहसील कठूमर मे स्थित है। जो आराजी प्रार्थी की खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। जिस पर प्रार्थी काविज रहकर काशत करता चला आ रहा है। उक्त आराजी की सीमायें हो रही है लेकिन उक्त आराजी की सीमायें खुली होने अथवा तारबन्दी व पत्थरगढी नहीं होने के कारण पडौसी खातेदार ताकत के बल पर प्रार्थी को परेशान करते है तथा काशत करने में बाधा व व्यवधान पैदा करते है प्रार्थी व अप्रार्थी के दोनों खेतों के बीच पहले कच्ची मेड स्थित थी जिस कच्ची मेड को अप्रार्थी ने धीरे धीरे ट्रेक्टर से जुताई कर स्वयं के खेत में मिला लिया तथा वर्तमान में दोनों खेतों के मध्य कोई मेड नहीं है। जिस कारण प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार कठूमर को पैमाईस कराने बावत

प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर पैमाइस प्रार्थना पत्र पर श्रीमान तहसीलदार कठूमर को दिनांक 14.07.2023 को पैमाइस कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किश लेकिन पैमाइस टीम ने पत्थरगढी करने से मना कर दिया। अप्रार्थीगण ने जवरन प्रार्थी को खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 641/825 वाके ग्राम दारौदा पर जवरन प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर कब्जा कर रखा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहा कि दोनों के खेतों की पैमाइस करवा के बीच में डौल डाल देते है तो अप्रार्थी ने पैमाइस के लिये भी मना कर दिया। जिस कारण प्रार्थी स्वयं के खेत में आराजी की पैमाइस करा कर दोनों खेतों के मध्य पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी ने उक्त आराजी की पैमाइस कराकर सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तामीली नोटिस जरिये डाक भिजवाया गया। दिनांक 10.01.2025 को अप्रार्थीगण संख्या 1 उपस्थित आये लेकिन जवाब पेश नही करना चाहा जिसके कारण उनका जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से वादी कोई अनुतोष नहीं चाहते उनको प्रार्थना पत्र से तर्क किया जाता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी हाल व छाया प्रति नक्शा ट्रेस इंतकाल नं0 641/825, वाके ग्राम दारौदा एवं मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट की छाया प्रति वाके ग्राम दारौदा पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। मुताविक जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 641/825 ग्राम दारौदा तहसील कठूमर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। मुताविक नक्शा ट्रेस इस आराजी के तरफ पूर्व में खसरा नम्बर 641/825 वाके ग्राम दारौदा स्थित है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण द्वारा दोनों खेतों के मध्य पुरानी कच्ची डौल को ट्रेक्टर से जोत कर अपने खेत में मिलाना कथन किया है तथा यह भी कथन किया कि मौके पर वर्तमान में दोनों खेतों के मध्य कोई मेड नहीं है। जिसके लिये प्रार्थी ने पैमाइस कराने व सीमाज्ञान के पश्चात व सीमाज्ञान को ध्यान में रखते हुए पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पैमाइस रिपोर्ट के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की

बहस सुनने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं कि वो आराजी खसरा नम्बर 641/825 रकबा 0.25 हैक्टेयर वाके ग्राम दारौदा व अप्रार्थी के खेतों के बीच में विधि के अनुसार पैमाइस/सीमाज्ञान कराकर प्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढी कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। आदेश की तहरीर तहसीलदार कटूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)